भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 123

सोमवार, 01 दिसंबर, 2025/10 अग्रहायण, 1947 (शक)

श्रम नीति और श्रम संहिता

123. श्री टी. एम. सेल्वागणपति:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में आयोजित दो दिवसीय श्रम एवं रोजगार तथा उद्योग मंत्रियों एवं राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों के सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन में कई राज्य सरकारों ने प्रारूप श्रम नीति तथा श्रम संहिताओं पर ट्रेड यूनियनों एवं अन्य हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श की मांग की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सभी राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों से उनके रोजगार कार्यक्रमों को हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के साथ संरेखित करने को कहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त बैठक में नियोजन पारिस्थितिकी को विनियमित करने, भर्ती में पारदर्शिता लाने हेतु एकसमान मानक स्थापित करने के लिए निजी नियोजक एजेंसी (विनियमन) अधिनियम के प्रारूप पर भी चर्चा हुई है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के श्रम एवं रोजगार तथा उद्योग मंत्रियों और सचिवों का दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 11-12 नवंबर, 2025 के दौरान आयोजित किया गया था।

इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत के भावी श्रम परिदृश्य के निर्माण में केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच तालमेल और सहयोग को मज़बूत करने संबंधी गहन परिचर्चा के लिए एक मंच प्रदान किया गया। इन परिचर्चाओं में भारत की आर्थिक विकास के अनुरूप ज़्यादा समावेशी और गतिशील श्रम बाजार बनाने के उद्देश्य से नवीन उपायों और उत्तम कार्य-प्रणालियों पर भी ज़ोर दिया गया।

परिचर्चा के दौरान, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना (पीएमवीबीआरवाई) नामक शुरू की गई नई योजना के महत्व को रेखांकित किया गया और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आग्रह किया गया कि वे अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संबंधित हितधारकों के साथ योजना की आउटरीच से संबंधित कार्यकलाप करवाएं।

इसके अलावा, 'श्रम शक्ति नीति' (राष्ट्रीय श्रम एवं रोजगार नीति) के मसौदे पर चर्चा की गई जो कामगारों के लिए एक समावेशी, निष्पक्ष और लचीला इकोसिस्टम बनाने के लिए एक विस्तृत विज़न दस्तावेज है जिससे 2047 तक विकसित भारत की ओर भारत की यात्रा में तेजी आएगी।

निजी प्लेसमेंट एजेंसी (विनियमन) बिल के मसौदे पर भी चर्चा हुई, जिसका उद्देश्य सभी निजी प्लेसमेंट एजेंसियों को रेगुलेट और रजिस्टर करना है ताकि पारदर्शी और जवाबदेह भर्ती प्रणालियां सुनिश्चित की जा सके। इसका मकसद नौकरी ढूंढने वालों को शोषण, धोखाधड़ी और असुरक्षित प्लेसमेंट से बचाना है। यह बिल निष्पक्ष और नैतिक रोजगार प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए स्पष्ट परिचालन मानक और निरीक्षण तंत्र भी स्थापित करता है।

*****